

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ 4 ( )/परावि/आप्र/PEAIS/2013-14/484

जयपुर, दिनांक 1-7-2013

:: आदेश ::

राज्य में पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (Panchayat Empowerment & Accountability Incentive Scheme) के उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार हेतु चयन किये जाने की प्रक्रिया निर्धारण करने, क्रियान्वयन एवं मॉनेटरिंग हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 617 दिनांक 22.07.2011 के द्वारा गठित राज्य स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति (State Panchayat Performance Assessment Committee, SPPAC) को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:-

1.	शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त आयुक्त, प्रशा.-2, पंचायती राज	सदस्य
3.	परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (SAP), ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
4.	प्रतिनिधि, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, (प्रो. वाई.एस. पूनिया),	सदस्य
5.	शासन उप सचिव, जिला आयोजना, पंचायती राज	सदस्य सचिव

उक्त समिति निम्नानुसार कार्य करेगी:-

1. तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित सकेंतांक, मार्किंग स्कीम एवं प्रश्नावली को अन्तिम रूप देते हुए पंचायती राज संस्थाओं को जारी करना।
2. चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी करना, चयन प्रक्रिया की समय-समय पर संवीक्षा करना एवं आवश्यकतानुसार संशोधित दिशा-निर्देश प्रदान करना।
3. जिला परिषदों से सम्बन्धित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त कर उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिला परिषदों का चयन करना एवं भारत सरकार का पुरस्कार हेतु सिफारिश करना।
4. जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रत्येक जिले के लिये चयनित पंचायत समिति/ग्राम पंचायत में से राज्य के लिये निर्धारित संख्या (2 पंचायत समितियों एवं 5 ग्राम पंचायतों) के अनुसार पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों का पुरस्कार के लिये चयन करना एवं भारत सरकार को सिफारिश करना।
5. जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समितियों द्वारा चयनित पंचायत समितियों एवं ब्लॉक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समितियों द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में प्रस्तुत सूचनाओं की पुष्टि हेतु अधिकारी मनोनीत करना एवं तथ्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
6. पुरस्कार स्वरूप प्राप्त राशि के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी करना।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग